

प्रेस नोट - थाना रोज

दिनांक 02.04.24

थाना रोजा पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर को मय चोरी के माल समेत किया रंगेहाथ गिरफ्तार ।

श्री अशोक कुमार मीणा पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर श्री संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमित चौरसिया के कुशल प्रयवेक्षण मे चलाये जा रहे चोरो एवं चोरी को रोकने , अवैध शस्त्र एवं उसका निर्माण तथा बिक्री एवं अवैध हथियार के दुरुपयोग को रोकने हेतु सघन अभियान के क्रम थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा जगह जगह छापेमारी कर 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

दिनांक 31/03/2024 को वादी श्री शियाराम पुत्र डोरोलाल नि0 मठिया कालोनी थाना रोजा जिला शाहजहाँपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. गौरव पुत्र रविन्द्र 2.अभिषेक गुप्ता उर्फ ढोलक पुत्र सुनिल गुप्ता निवासीगण मठिया कालोनी थाना रोजा शाहजहाँपुर के द्वारा वादी श्री शियाराम उपरोक्त के ई-रिक्शा की बैटरी (पहचान EASTMANFORCE की बैटरी) चोरी करने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 202/2024 धारा 379 भा.द.वि0 पंजीकृत कराया था । चोरो की तलास मे घटनास्थल व थाना क्षेत्र के आसपास सघन चेकिंग दबिश दी गयी हण्डा ब्रिज थाना रोजा गौरव पुत्र रविन्द्र नि0 मठिया कालोनी थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर को मय चोरी की गयी बैटरी समेत आज दिनांक 02/04/2024 को समय सुब करीब 09.00 बजे गिरफ्तार कर लिया । अभियुक्त पूर्व में ध भी थाना रोजा के मु0अ0सं0 103/24 धारा 379/411 भा0द0वि0 में टायर और सीसीटीवी कैमरा चोरी में जेल में जा चुका है । अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण :-

1. गौरव पुत्र रविन्द्र नि0 मठिया कालोनी थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग: -

1.मु0अ0सं0 202/2024 धारा 379/411 भादावि थाना रौजा शाह0पुर ।

2.मु0अ0सं0 103/2024 धारा 379/411 भादावि थाना रौजा शाह0पुर ।

बरामदगी :-

1. चोरी की गयी बैटरी (बैटरी नं0 551841B22CELYS315 व 847B2BCE1ZS0614 EMI 1209 ER 125 Ah (C20)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 चमन सिंह

2.का0 2227 अरुण कुमार तोमर

3. का0 2123 राजेश कुमार

विवरण पूछताछ :-

पकड़े गये अभियुक्त गौरव पुत्र रविन्द्र नि0 मठिया कालोनी थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर ने पूछने पर बताया कि मैंने यह बैटरी 04/02/24 को ई0 रिक्शा से निकलकर चोरी की थी। मेरे साथ मे अशोक गुप्ता उर्फ ढोलक पुत्र सुनील गुप्ता नि0 मठिया कालोनी थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर बताया। मैंने उसको उसके हिस्से के रुपये दे दिए । आज मैं इस बैटरी को बेचने जा रहा था तभी आपने पकड़ लिया ।